93

संख्या– /XVIII(II)/2014–20(01)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
   गढवाल/कुमांऊ मण्डल,
   पौड़ी/नैनीताल।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 25 जून, 2014

विषय–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ठ करते हुए अवगत कराना है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की व्यवस्था को समाप्त करते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में प्रख्यापित भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी पुनर्वास नीति, जो वर्ष 2007 में संशोधित करते हुए भारत सरकार भूमि संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2007 में भूमि अर्जन विधेयक, 2007 और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007 प्रस्तावित किये गये थे, इसके उपरान्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन को एक साथ सम्मिलित करते हुए भारत सरकार द्वारा नया **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** प्रख्यापित किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–16 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासक के रूप में अन्तरिम आधार पर सम्बन्धित जिले के अपर जिलाधिकारी तथा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में अन्तरिम आधार पर सम्बन्धित मण्डलायुक्त को नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

.....2

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या-1834(1)/XVIII(II)/2014 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।